



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
संभागीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE
केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, ए.एफ.एस. कैम्पस, सेक्टर-14
KV No.1, AFS Campus, Sector-14
गुरगौन/Gurgaon (Haryana)-122001
Phone: 0124-2307399(D.C), 2307499, 2307599, 2307699
E-mail: adminkvsrgurgaon@gmail.com

दिनांक: 26.03.2024

3.20082-3/2023-24/प्रशा./वि.प्र.स./क्र.3 अम्बाला छावनी/19/68-17/65

ईमेल/त्वरित डाक

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम सम्भाग के अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालय, क्र.3 अम्बाला छावनी के पत्र संख्या का.01/के.वि.-3 अम्बाला/2022-23/410 दिनांक 06.03.2024 के सन्दर्भ में निम्न विवरण अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की अनुमति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	वि.प्र.स. पद	सदस्य
1.	अध्यक्ष	त्रिगुण्डियर रजनीश सुवाल, कर्मडर, 612 (स्वतंत्र) यांत्रिक, वायु रक्षा ब्रिगेड
2.	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	कनल विशाल सिंह पालीवाल, अम्बाला छावनी
3.	ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्	डॉ. अनुपमा आर्या, प्राचार्या आर्य गर्ल्स कॉलेज, अम्बाला छावनी
4.	ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्	डॉ. नविन गुलाटी, विभागाध्यक्ष गणित, एस. डी कॉलेज, अम्बाला छावनी
5.	संस्कृति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति	श्री पवन चोपड़ा, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता, अम्बाला छावनी
6.	अभिभावक सदस्य (Male)	श्री ताकवले योगेश आर. पिता (वेदांती कक्षा दसवीं)
7.	अभिभावक सदस्य (Female)	श्रीमती जिम्मी रानी, माता (स्नेहा, कक्षा आठवीं)
8.	ख्याति प्राप्त स्थानीय शिकिस्तक	डॉ. जोगिन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी सिविल हॉस्पिटल, अम्बाला छावनी
9.	SC/ST प्रतिनिधि	श्री पुनीच त्रिधतीया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पी.जी. गवर्नमेंट कॉलेज, अम्बाला
10.	अध्यक्षक प्रतिनिधि	श्री संजीव कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र) के.वि. क्र.3 अम्बाला छावनी
11.	सहसंचालित सदस्य	सहायक गैरिसन इंजीनियर, दक्षिण, एम.ई.एस. अम्बाला छावनी
12.	सचिव सदस्य	प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्र.3 अम्बाला छावनी
13.	अध्यक्ष, के.स.क.क. समिति	संयुक्त आयुक्त (आयकर विभाग), अम्बाला छावनी
14.	तकनीकी सदस्य	जी.ई.दक्षिण, एम.ई.एस. अम्बाला छावनी

उपरोक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2026 तक रहेगा।

क्र.स. 6, 7 एवं 10 पर नामित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा अतः इन सदस्यों का नया प्रस्ताव एक माह भेजा जाय प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि वे विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन प्रस्ताव को सही समय पर भेजें।

gaurav
6/6/23/24
(वरुण मित्र)
उपायुक्त

उत्तरण:-

1. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, क्र.3 अम्बाला छावनी।
2. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय, क्र.3 अम्बाला छावनी।

वैशेष:-

1. केन्द्रीय विद्यालय में सर्वाधिक लम्बे समय से सेवारत शिक्षक को एक वर्ष के लिए बारी बारी से विद्यालय प्रबंधन समिति में नामित किया जाय।
2. प्राचार्य द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि को नोट कर रखा जाए तथा इसकी समाप्ति के एक माह पूर्व इसके पुनर्गठन का प्रस्ताव के.वि.सं. की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 29 में दिए गए निर्देशानुसार बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।